

फर्द अहकाम

ज्ञानाराम

बनाम

रामू तगै०

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोधनोर

केस सं० ५/2023

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.01.2023	अधिवक्ता श्री रामसिंह द्वारा वाद पत्र घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्त हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को पेश हो।	
	22.02.23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा रजिस्ट्रार कार्यालय पर पत्रावली पुर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21/2/22 को पेश हो।	
	21/2/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ज्ञानाराम द्वारा एक अर्चना पत्र इस आधार का पेश किया कि कमी जारी मुकदमें के आगे चलाना नहीं चाहता है। उक्त मुकदमें के चलने से पत्रकारान के गार्ड कंधों में रजिस्ट्रार पड़ी है। इसलिए अधिवक्ता अपने वाद के आगे चलाना नहीं चाहता है। और ना ही कोई कार्यवाही चाहता है एवं वाद विद्रो करना चाहता है। अर्चना जारी के अर्चना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अधिवक्ता वाद एवं अर्चना पत्र को विद्रो करना चाहता है। अधिवक्ता की पहचान अधिवक्ता के आधार कार्ड, फोटो एवं अर्चना	ज्ञानाराम रामू तगै०

02/03/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोधनोर, जयपुर


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोधनेर

केस सं० / 2022

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02/3/2023 आज्ञा राग भालारामका जागृश	सं० 2 तथा आदिवासी सं० 3 अज्ञा राग द्वारा की गई। अतः वादी को फाद बिट्टी इले की अनुमति दी जाती है तदनुसार पडावली किसल गुगार होकर नम्बर से काम होकर शाखिल वफर हो।	


02/03/23
उपखण्ड अधिकारी
जोधनेर, जोधपुर